



अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर  
रा.रा.मार्ग नं.-8 बड़लिया चौराहा, नारेली मंदिर के पास,  
अजमेर, 305025

Website: [www.ecajmer.ac.in](http://www.ecajmer.ac.in)

E-mail : [principal@ecajmer.ac.in](mailto:principal@ecajmer.ac.in)

Telephone : 0145-2971024

क्रमांक : अमअ/2024/151

दिनांक : - 27-08-2024

सीमित निविदा

महाविद्यालय में वित्तीय वर्ष 2024-25 व 2025-26 के लिये केन्टीन संचालन हेतु निविदा आमंत्रित की जाती हैं :-

निविदा संख्या	कार्य का विवरण	अनुमानित मूल्य	अमानत राशि	निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	निविदा खोलने की तिथि एवं समय
01	महाविद्यालय केन्टीन संचालन	0.72 लाख	3,000/-	19.09.2024 01:00 PM	19.09.2024 03:00 PM

निविदा प्रपत्र एवं अन्य जानकारी वेबसाइट [www.ecajmer.ac.in](http://www.ecajmer.ac.in) एवं SPPP पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है। निविदा प्रपत्र व डी.डी. प्राचार्य, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर के नाम अंकित कर महाविद्यालय को निविदा खुलने की दिनांक से पूर्व प्रेषित करना अनिवार्य है।

*Deer*

  
प्राचार्य



अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर  
बडलिया चौराहा राष्ट्रीय राजमार्ग-48, अजमेर-305025

केन्टीन संचालन हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा प्राप्ति की अंतिम दिनांक :- 19.09.2024 समय दोपहर 01.00 बजे  
19.09.2024  
निविदा खोलने की दिनांक :- 19.09.2024 समय दोपहर 03.00 बजे  
19.09.2024

फोटो  
निविदादाता

1. निविदादाता/प्रोपराईटर का नाम (हिन्दी में):.....  
(अंग्रेजी में) :.....
2. पिता का नाम :.....
3. फर्म का नाम :.....
4. वर्तमान पता :.....  
:.....
5. स्थायी पता :.....  
:.....
6. मोबाईल नं० :.....
7. कृपया निर्दिष्ट करना होगा कि निविदादाता-प्रोपराईटर/प्राईवेट लिमिटेड/साझेदारी फर्म है। (भागीदार का नाम) :.....

मुझे निविदा दस्तावेज के नियम और शर्तों की पूरी समझ है। मैं टेंडर में दी गई दरों पर खाने की चीजें और डिब्बा बंद (नाश्ता/भोजन) आदि को बिक्री के लिये सहमत हूँ।

दिनांक:-

निविदादाता के हस्ताक्षर

स्थान:-

निविदादाता का नाम .....

*Depts* *King* *R. Singh* *MS*

**अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर**  
**बडलिया चौराहा राष्ट्रीय राजमार्ग-48, अजमेर-305025**

1. निविदादाता का नाम : .....

2. ई.एम.डी. का विवरण (रु० 3000/-)

बैंक ड्राफ्ट नं० ..... राशि ..... दिनांक .....

जारीकर्ता बैंक .....

3. इस क्षेत्र के अनुभव का विवरण ( प्रमाण पत्र संलग्न करें )

क्र.सं.	वर्ष	संगठन	कार्य की प्रकृति

4. जी.एस.टी. नं० : .....

5. निविदादाता के पास बुनियादी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिये।

अग्नि शमक यन्त्र : हां  नहीं

क्रॉकरी : हां  नहीं

रेफ्रिजरेटर : हां  नहीं

डीप फ्रीजर : हां  नहीं

हॉट केस : हां  नहीं

\* कॉर्मशियल गैस कनेक्शन : हां  नहीं

डीसपेंसिंग मशीन : हां  नहीं

फर्नीचर : हां  नहीं

कुकिंग की बुनियादी सुविधा : हां  नहीं

\* Shop Act License .....

\* खाद्य विभाग द्वारा जारी लाईसेन्स सं. ....

“\* ” अंकित प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। कोई अन्य जानकारी (यदि हो तो संलग्न करें)

दिनांक:-

निविदादाता के हस्ताक्षर

स्थान:-

निविदादाता का नाम .....





2



अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर की कैंटीन अनुबंध के लिये नियम और शर्तें

- 1 टेंडर स्वीकृत होने पर कैंटीन महाविद्यालय द्वारा तय समय सीमा के भीतर शुरू करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं होने पर अमानत राशि लौटाई नहीं जायेगी और दूसरे योग्य टेंडर को स्वीकृत कर लिया जायेगा।
- 2 निविदादाता को महाविद्यालय के निर्देशों के अनुसार कैंटीन प्रातः 08.00 से सांय 05.30 बजे तक या महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय या पूर्व सूचित अवकाश के दिन भी कैंटीन की सुविधा उपलब्ध करानी होगी।
- 3 निविदादाता को अधिकृत सामान बेचने की अनुमति होगी जो सूची में संलग्न है। विभिन्न प्रकार की सामग्री की दरें महाविद्यालय द्वारा स्वीकृत दरों के अनुसार होगी। किसी भी वृद्धि दर के पूर्व अभि० महा०, अजमेर की अनुमति की आवश्यकता होगी।
- 4 निविदादाता को टेंडर के साथ अमानत राशि के रूप में 3000/- रू० (अक्षरे तीन हजार मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जमा कराना होगा, जो कि "प्राचार्य, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर" के नाम होगा। टेंडर के स्वीकृत होने पर निविदादाता को 10000/- रू० (अक्षरे दस हजार मात्र) सिक्योरिटी के जमा कराने होंगे इस राशि में अमानत राशि का समायोजन किया जायेगा, जो "प्राचार्य, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर" के नाम होंगे। टेंडर अवधि समाप्त होने पर अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर यह राशि लौटा दी जायेगी लेकिन इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। तीन माह का लाईसेन्स शुल्क अग्रिम जमा कराना अनिवार्य है।
- 5 कैंटीन संचालक द्वारा लाईसेन्स अवधि का लाईसेन्स शुल्क जमा ना कराने पर महाविद्यालय में जमा अमानत/सिक्योरिटी राशि जप्त कर ली जावेगी।
- 6 निविदादाता को कैंटीन के आस-पास की साफ-सफाई रखने के लिये बाध्य होगा। कैंटीन में हुए कचरे को अन्यत्र निपटान की जिम्मेदारी कैंटीन संचालक की होगी। महाविद्यालय का सफाई कर्मचारी कैंटीन से सम्बन्धित कोई भी कार्य नहीं करेगा।
- 7 निविदादाता को पानी की खपत के 200/- रू० हर माह जमा कराने होंगे।
- 8 निविदादाता को कैंटीन परिसर का चार्ज लेने से पहले एक 500/- रू० के नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर लिखित एग्रीमेंट करना पड़ेगा।
- 9 निविदादाता को महाविद्यालय में होने वाली बैठकों और समारोह आदि में आपसी सहमति से तय की हुई दर पर भोजन की व्यवस्था करनी होगी।
- 10 महाविद्यालय को अधिकार है कि वह निविदादाता को किसी भी ब्रॉन्ड की वस्तु बिक्री/बनाने पर पाबंदी कर सकता है।
- 11 निविदादाता को कैंटीन को संचालित करते वक्त सभी सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी विशेषतः आग बुझाने के यंत्र आदि।
- 12 निविदादाता के पास कैंटीन में लिये प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स उपलब्ध होना चाहिये।

Deepak  
Lem  
P  
A  
M  
S

- 13 निविदादाता कैंटिन में कार्य करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिये जिम्मेदार होगा।
- 14 निविदादाता किसी नाबालिग को कैंटिन के कार्य के लिये नहीं रख सकेगा।
- 15 जो खाद्य सामग्री सूची में संलग्न नहीं है वे महाविद्यालय और निविदादाता के आपसी सहमति से तय की हुई दरों पर बेची जायेगी।
- 16 महाविद्यालय को अधिकार है कि वह आवश्यकता होने पर किसी अन्य जगह भी कैंटिन खोल सकता है। केन्टीन संचालक केन्टीन को सबलेट नहीं कर सकेगा।
- 17 बिजली व्यय व पानी व्यय व अन्य बकाया राशि प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जमा कराना आवश्यक है अन्यथा 7 दिन के नोटिस पर कैंटिन बन्द करने का अधिकार महाविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
- 18 संविदा उच्चतम किराये व निम्नतम केन्टिन द्वारा बेची जाने वाली वस्तु के आधार पर प्राचार्य की अनुमति से दिया जायेगा। किसी एक या अधिक टेंडर को बिना किसी कारण बताये प्राचार्य द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है। निविदादाता को अमानत राशि बोली के साथ जमा करानी होगी, जो कि टेंडर के अस्वीकृत होने पर पुनः लौटा दी जायेगी।
- 19 अनुबंध जिस तारीख से लागू होगा उस तारीख से बारह महीने तक चलता रहेगा। महाविद्यालय प्रशासन को उचित लगने पर यह उन्हीं नियम एवं शर्तों पर परस्पर आपसी सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है। लाईसेन्स शुल्क 10 प्रतिशत की दर से स्वतः ही बढ़ेगा।
- 20 निविदादाता को बिजली बिल चार्ज महाविद्यालय द्वारा निर्धारित लागू दर पर देनी होगी। जो कि विद्युत वितरण निगम, अजमेर द्वारा निर्धारित होगी, वह देय होगी। जो कि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर के मीटर रीडिंग द्वारा बताई जायेगी और एक सब-मीटर कैंटिन में महाविद्यालय द्वारा लगा दिया जायेगा। बिजली का बिल मासिक रूप से जमा कराना होगा।
- 21 निविदादाता और राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर के बीच कोई विवाद होने पर प्राचार्य का निर्णय अंतिम माना जायेगा। तथा न्याय क्षेत्र अजमेर होगा।
- 22 उधार बिक्री एवं चोरी व अन्य प्रकार से हुये नुकसान की जिम्मेदारी अभि. महा., अजमेर की नहीं होगी। निविदादाता की होगी।
- 23 असंतोषजनक स्थिति होने पर प्राचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर को अधिकार है कि वह एक महिने का नोटिस देकर अनुबंध को समाप्त कर सकते हैं।
- 24 महाविद्यालय सम्पदा को नुकसान पहुंचाने पर कैंटिन संचालक को महाविद्यालय प्रशासन द्वारा तय की गई भरपाई राशि जमा करानी होगी।

Deepak

Leis


(P)

A

Shan

mk

- 25 निविदादाता को खाद्य सामग्री को मक्खियों और कीड़ों से बचाने के लिये साफ सुथरे काँच के कवर वाले शोकेस में रखने की व्यवस्था करनी होगी। खाद्य सामग्री उचित रूप से उपलब्ध करवानी होगी। यदि दूषित सामग्री से कोई दुर्घटना होती है तो इस की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
- 26 प्राचार्य/संबंधित अधिकारी की बिना पूर्व लिखित अनुमति के कैंटिन को किसी भी कार्य दिवस पर बंद नहीं किया जायेगा।
- 27 खाद्य सामग्री की तैयारी असंतोषजनक होने पर या निविदादाता द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर प्राचार्य, अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर को अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार होगा ऐसा होने पर सिक््योरिटी राशि को जब्त कर लिया जायेगा।
- 28 निविदादाता को स्वीकृत की हुई खाद्य पदार्थ की दरें और सामग्री को सही जगह चरपा करना होगा।
- 29 प्राचार्य अथवा कोई अधिकृत व्यक्ति कैंटिन का निरीक्षण कर सकता है और किसी भी सामग्री जो योग्य नहीं पाने पर उसे बिना किसी मुआवजे के अस्वीकृत कर सकते हैं।
- 30 MRP से अधिक राशि पर सील बन्द खाद्य पदार्थों को नहीं बेचा जायेगा।
- 31 कैंटिन में तैयार होने वाले खाद्य पदार्थ प्रतिदिन ताजा बनाए जायेंगे। बासी खाद्य पदार्थ बेचता हुआ पाए जाने पर तुरन्त प्रभाव से निविदा रद्द कर दिया जायेगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी कैंटिन संचालक की होगी।
- 32 खाद्य पदार्थों की गुणवक्ता सर्वोपरि है। यदि किसी पदार्थ के सेवन की वजह से विद्यार्थी या कर्मचारी अस्वस्थ होता है तो उसके संपूर्ण चिकित्सा व्यय कैंटिन संचालक को वहन करना होगा।
- 33 जिला रसद अधिकारी या अन्य समकक्ष अधिकारी द्वारा कैंटिन में कार्यवाही किए जाने पर पूर्ण जिम्मेदारी कैंटिन संचालक की ही होगी। महाविद्यालय का इससे कोई सरोकार या सम्बन्ध नहीं होगा।
- 34 घरेलु सिलेडर का उपयोग पूर्णतया निषेध रहेगा।
- 35 अगर किसी कारण से कैंटिन बारह माह से पूर्व छोड़कर निविदादाता चला जाता है तो उसके द्वारा अग्रिम जमा लाईसेन्स शुल्क लौटाया नहीं जायेगा।
- 36 यह निविदाएँ वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 के लिये मान्य होगी। आवश्यकतानुसार प्राचार्य के विवेक पर अधिकतम एक वर्ष के लिये स्वीकृत आनुपातिक दरों व शर्तों पर बढ़ाया जा सकता है।
- 37 निविदा के साथ रूपये 500/- (अक्षर रूपये पाँच सौ) फार्म शुल्क का नकद/बैंक ड्राफ्ट के द्वारा जो कि प्राचार्य राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर के नाम हो जमा करानी होगी तथा जिस फर्म को ठेका स्वीकृत होगा, उसे सुरक्षा राशि के रूप में रूपये



10,000/—(अक्षरे दस हजार मात्र) सिक्क्योरटी के जमा कराने होंगे जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

- 38 जलपान गृह जैसा है जिस स्थिति में है वैसा ही दिया जायेगा। फर्नीचर, आंतरिक, उपकरण व अन्य सुविधाएँ जिस स्थिति में दी जायेगी उसी स्थिति में लौटाने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। किसी प्रकार के नुकसान की क्षतिपूर्ति का दायित्व निविदादाता का होगा।
- 39 निविदादाता को जलपान गृह में महाविद्यालय स्टाफ, छात्रों एवं छात्राओं के बैठने की अलग-अलग व्यवस्था करनी होगी। जलपान गृह में किसी भी अवांछनीय बाह्य तत्वों/व्यक्तियों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। जलपान गृह के अनुशासन की पूर्ण व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी। कर्मचारी वर्दी में होंगे तथा जारी परिचय पत्र लगा हुआ होना चाहिए।
- 40 जलपानगृह में बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा, मादक पदार्थ व बबलगम (चींवगम) एवं सरकार द्वारा प्रतिबन्धित सामग्री विक्रय आदि के सेवन/बिक्री की अनुमति नहीं होगी। यदि जलपान गृह में इस तरह के वर्जित पदार्थों का उपयोग या विक्रय करते पाया जाता है, तो ठेका निरस्त कर दिया जायेगा एवं महाविद्यालय को होने वाले नुकसान की वसूली निविदादाता से की जायेगी।
- 41 जलपान का बिजली का व्यय विद्युत विभाग की दर से अलग से सब मीटर की रीडिंग के अनुसार एवं मीटर बन्द होने की स्थिति में रूपये 3,000/प्रतिमाह या पूर्व माह के विद्युत व्यय के अनुसार इनमें से जो अधिक हो देना होगा। इसके अन्तर्गत मात्र आवश्यकतानुसार ट्यूब लाईट, बल्ब फ्रिज तथा पंखे आदि चलाने के लिये ही विद्युत के उपयोग की अनुमति दी जायेगी। विद्युत हीटर, भट्टी का उपयोग वर्जित होगा।
- 42 जलपान गृह में सफाई की व्यवस्था, निविदादाता को करनी होगी तथा जलपान गृह को स्वच्छ रखना होगा। समय-समय पर जलपानगृह समिति जलपानगृह का निरीक्षण कर सकेगी। जलपान गृह समिति अथवा विद्यार्थियों से प्राप्त प्रति शिकायत सही पाये जाने पर रूपया 500/— जुर्माना किया जा सकेगा।
- 43 जलपान गृह में विक्रय की जाने वाली सभी सामग्री की शुद्धता बनाये रखनी होंगी। तथा भारत सरकार / राज्य सरकार से प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग कैंटिन में पैकिंग व खाद्य सामग्री देने में नहीं किया जायेगा। इस संबंध में कोई कार्यवाही होती है तो निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 44 क्राकरी का समय-समय पर सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। समय-समय पर स्वास्थ्य अधिकारी से खाद्य सामग्री की जांच कराई जायेगी।
- 45 रविवार व अन्य राजपत्रित अवकाशों के दिन-प्राचार्य की पूर्व अनुमति के बिना जलपानगृह खोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 46 राजपत्रित व अन्य अवकाशों के अलावा निविदादाता स्वयं की इच्छा से जलपानगृह को बन्द नहीं रखेगा। यदि जलपान गृह बन्द पाया जाता है तो रूपये 200/—(अक्षरे रूपया मात्र) प्रतिदिन की दर से जुर्माना लिया जायेगा।

Devi Pals  
Leim

P

- 47 विशेष अवसरों जैसे वार्षिक उत्सव, खेलकूद प्रतियोगिता व अन्य अवसरों पर प्राचार्य के निर्देश पर जलपान गृह खुला रखना होगा। इन अवसरों हेतु निविदादाता को समय पर निर्देश दे दिये जायेंगे।
- 48 जलपान गृह में निविदादाता या उसके कर्मचारी को महाविद्यालय बन्द होने के बाद ठहरने की अनुमति किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जायेगी।
- 49 निविदादाता को यह अधिकार नहीं होगा कि अपना ठेका किसी अन्य को स्थानान्तरित कर सके। यदि यह महसूस हो कि जिसके नाम से ठेका हुआ है वह न आकर किसी अन्य व्यक्ति को जलपानगृह के संचालन के लिये भेज रहा है तो ऐसे निविदादाता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। तथा सुरक्षा राशि जब्त कर ली जावेगी।
- 50 निविदादाता की कोई भी शर्त महाविद्यालय को मान्य नहीं होगी।
- 51 जलपानगृह से सम्बन्धित औद्योगिक अधिनियमों की पालना करनी होगी एवं यदि नियमों में आवश्यक हो तो पंजीकरण आदि का उत्तरदायित्व निविदादाता का ही होगा। जलपानगृह के प्रत्येक कक्ष/परिसर में महाविद्यालय द्वारा निर्धारित दर सूची लगानी होगी।
- 52 निविदादाता अपने पत्राचार के पूर्ण पते को एक राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करा संलग्न करेगा।
- 53 खाद्य सामग्री के विक्रय हेतु प्राधिकृत अधिकारी का अधिकार पत्र निविदादाता को स्वयं को प्राप्त करना होगा।
- 54 जलपानगृह में रखे जाने वाले श्रमिक व्यस्क (18 वर्ष से अधिक उम्र वाले) होने चाहिये। इनके प्रमाणित फोटो एवं पता आदि आवश्यक रूप से कार्यालय में जमा कराना होगा।
- 55 जलपानगृह का विद्युत सम्बन्ध विच्छेद कराने की अनुमति निविदादाता को किसी भी परिस्थिति में नहीं दी जायेगी।
- 56 भरी हुई निविदाएँ दिनांक 08.08.2024 को दोपहर 02.00 बजे तक मोहबन्द लिफाफे में जिस पर "जलपान गृह संचालन हेतु निविदा" अंकित हो महाविद्यालय को प्राप्त हो जानी चाहिये। प्राप्त निविदाएँ उसी दिन सांय 03.00 बजे महाविद्यालय में उपस्थित निविदाओं के सम्मुख खोली जायेगी।
- 57 बिना धरोहर राशि एवं विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 58 किसी भी एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार प्राचार्य अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर को होगा।
- 59 सर्विस टेक्स जमा कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित निविदादाता फर्म की होगी। फर्म को अनुबंध/कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियमानुसार उपयुक्त पंजियन प्रमाणपत्र/लाईसेंस इत्यादि की सत्यापित प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- 60 निविदादाता को कोविड-19 या अन्य कोई महामारी होने पर राज्य सरकार / भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों की पालना किया जाना आवश्यक होगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी निविदादाता के स्वयं की होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Deepak  
Len

P

A

A

A



अभियांत्रिकी महाविद्यालय, अजमेर  
राष्ट्रीय राजमार्ग-48, बडलिया चौराहा, नारेली जैन मंदिर के पास,  
अजमेर-305025

केन्टीन संचालन हेतु निविदा प्रपत्र

फोटो  
निविदादाता

फार्म नं०

दिनांक:

1. निविदादाता/फर्म का नाम (हिन्दी में) :.....  
(अंग्रेजी में) :.....
2. पिता का नाम :.....
3. वर्तमान पता :.....  
:.....
4. स्थायी पता :.....  
:.....
5. आधार कार्ड नं० :.....
6. मोबाईल नं० :.....
7. ऐजेंसी का रजिस्ट्रेशन नं० :.....  
(यदि कोई हो तो)
8. कृपया निर्दिष्ट करना होगा कि निविदादाता-प्रोपराईटर/प्राईवेट लिमिटेड/साझेदारी फर्म है। (भागीदार का नाम) :.....
9. केन्टीन का न्यूनतम लाईसेन्स शुल्क  
रु० 3000 प्रतिमाह (24 माह हेतु प्रारम्भिक बोली) मात्र अकों में .....  
बिजली-पानी अतिरिक्त शब्दों में.....

मुझे निविदा दस्तावेज के नियम और शर्तों की पूरी समझ है। मैं टेंडर में दी गई दरों पर खाने की चीजें और डिब्बा बंद (नाश्ता/भोजन) आदि को बिक्री के लिये सहमत हूँ।

दिनांक:-

स्थान:-

निविदादाता के हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम .....

Deepal  
Fom  
R  
8  
[Signature]

संलग्नक- 1

क्र.सं.	पदार्थ का नाम	मात्रा	राशि (रु०)
1.	चाय (एक कप) * (साधारण)	100 मिली	10/-
2.	चाय (एक कप) * (स्पेशल)	100 मिली	20/-
3.	कॉफी *	100 मिली	20/-
4.	समोसा / कचोरी *	एक नग	15/-
5.	ब्रेड पकोडा (आलू का)	75 ग्राम	20/-
6.	पोहा नमकीन सहित *	100 ग्राम	20/-
7.	सब्जी / दाल 6 पूड़ी, टपोरे	प्रति प्लेट	30/-
8.	छोले / सब्जी-6 पूड़ी	प्रति प्लेट	40/-
9.	एक पकौड़े के साथ कड़ी (कटोरी स्टैन्डर्ड साईज)	प्रति प्लेट	18/-
10.	दो भटूरे छोले के साथ (100 ग्राम) मिर्च प्याज सहित *	प्रति प्लेट	45/-
11.	लड्डू (बिसन / बून्दी) एक पीस (शुद्ध देसी घी)	30 ग्राम	25/-
12.	बर्फी (खोया) एक पीस	20 ग्राम	15/-
13.	चावल प्लेट व राजमा / छोले (200 ग्राम)	प्रति प्लेट	40/-
14.	सांभर-बडा टू पीस	(30 ग्राम प्रत्येक)	40/-
15.	मसाला डोसा सांभर के साथ	एक नग	50/-
16.	ईडली एक प्लेट सांभर के साथ	दो नग	40/-
17.	लंच (चावल, एक दाल, चार चपाती, एक सब्जी)	दो नग	65/-
18.	राजमा 100 ग्राम	प्रति प्लेट	15/-
19.	रोटी	प्रति नग	08/-
20.	चाउमीन	फूल प्लेट	40/-
21.	उत्पम	1 प्लेट	25/-
22.	कटलेट-टू पीस (50 ग्राम एक पीस)	1 प्लेट	40/-
23.	वेजीटेबल सेंडवीच	1 पीस	50/-
24.	बर्गर	1 पीस	50/-
25.	दही	100 ग्राम	15/-
26.	टमेटो सूप	200 मिली	20/-
27.	मैगी / टॉप रेमन (मसाला)	एक प्लेट	30/-
28.	आलू पराठा + अचार *	1 नग	25/-
29.	प्लेन पराठा + अचार *	70 ग्राम	20/-
30.	कोल्ड ड्रिंक, आईसक्रीम, डेयरी पदार्थ, चाकलेट, बिस्कूट, फूट ज्यूस	MRP	MRP
31.	पेस्टी *	एक नग	20/-
32.	पेटीज *	एक नग	15/-
33.	पेटीज + नमकीन प्याज	एक नग	20/-
34.	स्पेशल नास्ता (कचोरी / पोहा / उपमा कोई एक एवं एक मिठाई)	प्रति प्लेट	30/-
35.	स्पेशल दोपहर का भोजन (दो सब्जी, एक दाल, रायता, चावल, पापुड़ी एवं एक मिठाई)	प्रति प्लेट	80/-
36.	हाई टी (दो बिस्कीट मिठे, दो बिस्कीट नमकीन बेकरी, चाय अथवा कॉफी)	प्रति व्यक्ति	30/-

कैंटीन में \* मार्क आइटम अनिवार्य रूप से रखने होंगे। मैं ऊपर दी गई खाद्य सामग्री की सूची में तय की गई दरों पर भोजन एवं नाश्ता उपलब्ध कराउंगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

*Deepak*  
*Ling*  
*R*  
*A*  
*Singh*  
*M*